न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 72 / 2023

1 इन्द्र सिंह पुत्र सुखा जाति मीणा निवासी गुहाला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

अपीलांटस

बनाम

1 भूदाराम पुत्र उमराव जाति मीणा निवासी गुहाला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।
2 बसन्त कुमार उर्फ कालू पुत्र ओमप्रकाश
3 किरण पुत्री ओमप्रकाश
4 संगीता पुत्री ओमप्रकाश
समस्त जाति मीणा निवासीगण गुहाला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।
5 राजेन्द्र कुमार पुत्र बीरबल जाति मीणा निवासी डी 29 बन्धू नगर परमहंस कॉलोनी मुरलीपुरा जयपुर।
6 सुमन बेवाह कैलाश
7 विजय पुत्र कैलाश
8 अनू पुत्र कैलाश
9 मिनाक्षी पुत्री कैलाश
समस्त जाति मीणा निवासीगण आजाद पथ सिन्धु नगर मुरलीपुरा जयपुर जिला जयपुर।
10 कमला पत्नी रामनिवास
11 धर्मेन्द्र पुत्र रामनिवास
12 सुभाष पुत्र रामनिवास
13 सन्तरा पुत्री रामनिवास
समस्त जाति मीणा निवासीगण गुहाला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।
14 कोयली पत्नी लक्ष्मीनारायण जाति मीणा निवासी गुहाला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व ... सीकर

15 जगदीश पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति मीणा निवासी गुहाला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

16 उ ा पत्नी रामसिंह पुत्री लक्ष्मीनारायण जाति मीणा निवासी खेतडी मोड नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

17 दीपिका पत्नी हीरालाल पुत्री लक्ष्मीनारायण जाति मीणा निवासी रामबाग वाया हुडदी तहसील मुण्डावर जिला अलवर।

18 अनू मीणा पुत्र सीताराम जाति मीणा निवासी गुहाला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

19 माली देवी पत्नी हणमान जाति मीणा निवासी गुहाला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

20 विमला पत्नी भरत पुत्री हणमान जाति मीणा निवासी जोधपुरा सुनारी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।

21 सुनिता पत्नी जुगलकिशोर पुत्री हणमान जाति मीणा निवासी नांगल तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।

22 तहसीलदार महोदय नीमकाथाना जिला सीकर।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 18.09.2023
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना
प्रकरण उनवानी भूदाराम बनाम इन्द्रसिंह
आदि मु.नं. 356/2019 अ.धारा 251 ए
आरटीएक्ट
अपील अन्तर्गत धारा 225 आरटीएक्ट

उपस्थिति :

1. श्री सागरमल धायल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री प्रभातीलाल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री सुशीला जाखड़, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

सत्यमेव जयते

–निर्णय–

दिनांकः– 23/7/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना द्वारा मुकदमा नम्बर 356/2019 में पारित निर्णय दिनांक 18.09.2023 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट ने धारा 251 ए का आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम बंधावाला की भूमि खसरा नम्बर 737 में उत्तर से दक्षिण 80 मीटर पूर्व से पश्चिम 8 मीटर चौड़ा एवं इसके आगे दक्षिण पूर्वी कोने की ओर 40 मीटर लम्बा एवं 8 मीटर चौड़ा कुल 960 वर्गमीटर भूमि में रास्ता कायम करने का अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से आवेदन स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 448 व 462 में आवागमन का रास्ता कटाणी रास्ता खसरा नम्बर 729 से होकर खसरा नम्बर 454 से होता हुआ भूमि खसरा नम्बर 448 व 462 के मध्य से गुजरता है व मौके पर चालू है व इसी रास्ते को प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट निरन्तर अपने पूर्वजो के समय से निर्बाध रूप से उपयोग उपभोग में लेते आ रहा है अपीलान्ट व अन्य सह कृषकगण ने अपने जवाब आवेदन व आपत्ति फर्द मौका में भी उक्त तथ्य का उल्लेख किया है लेकिन विचारण न्यायालय ने न तो फर्द मौका व न अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जवाब व आपत्ति मौका पर गौर किए ही अपनी आज्ञा जैर अपील विरूद्ध कानून पारित करने में गलती की है। विचारण न्यायालय में प्रस्तुत फर्द मौका रिपोर्ट व जवाब अपीलान्ट से भली भांति साबित है कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट के पूर्व से रास्ता मौके पर मौजूद है व जब पूर्व से रास्ता लगता हो नया रास्ता कतई नहीं दिया जा सकता, ना ही धारा 251 ए आरटीएक्ट में ही ऐसा प्रावधान है। विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट की भूमि खसरा नम्बर 737 रकबा 0.53 हैक्टेयर है जिसके मध्य से रासता प्रस्तावित किए जाने पर खेत के दो छोटे छोटे टुकड़े हो जाते है जिससे काश्त किया जाना ही संभव नहीं होगा तथा अपीलान्ट के प्रस्तावित रास्ते में मकान ट्यूबवैल व मंदिर आ रहे है उस तथ्य पर भी गौर नहीं किया। अपीलान्ट द्वारा विचारण न्यायालय में फर्द मौका रिपोर्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

की विधिक आपत्ति दूसरा रास्ता मौजूद होने अपीलान्ट के मकान ट्यूबवैल मंदिर प्रस्तावित रास्ते में आने व अपीलान्ट का खेत 10–15 फिट उंचाई में स्थित होने की तथा फर्द मौका भी तहसीलदार द्वारा मौके पर जाकर नहीं बनाने अपीलान्ट को कोई नोटिस सूचना नहीं देने का तथ्य अंकित कर आपत्ति विचारण न्यायालय में प्रस्तुत की विचारण न्यायालय ने आपत्ति पर सुनकर अपना निर्णय आपत्ति पर अलग से न कर संपूर्ण आवेदन को ही तैय कर रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी का आवेदन विधि विरूद्ध स्वीकार करने में गलती की है। विचारण न्यायालय ने अप्रार्थी संख्या 6 कैलाशचन्द का देहान्त दिनांक 22.08.2023 को हो गया था व उसके वारिसान को रिकार्ड पर लिए बिना ही मृत व्यक्ति के विरूद्ध अपनी आज्ञा जैर अपील दिनांक 18.09.2023 विधि विरूद्ध पारित करने में गलती की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट ने धारा 251 ए का आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम बंधावाला की भूमि खसरा नम्बर 737 में उत्तर से दक्षिण 80 मीटर पूर्व से पश्चिम 8 मीटर चौड़ा एवं इसके आगे दक्षिण पूर्वी कोने की ओर 40 मीटर लम्बा एवं 8 मीटर चौड़ा कुल 960 वर्गमीटर भूमि में रास्ता कायम करने का अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से आवेदन स्वीकार कर लिया। पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत 2075 से 78 के अनुसार प्रार्थी खसरा नम्बर 448 व 462 का खातेदार है। खसरा नम्बर 737 की खातेदारी अप्रार्थी अपीलान्ट के नाम दर्ज है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रकिया अनुसार सक्षम स्तर से मौका रिपोर्ट प्राप्त की है। मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी रेस्पोडेन्ट के पास वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थी रेस्पोडेन्ट को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है। प्रस्तावित रास्ता खसरा नम्बर 729 गैर मुमकिन रास्ते से खसरा नम्बर 737 व 738 से होकर प्रार्थी रेस्पोडेन्ट की खातेदारी भूमि तक जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई निकटतम दूरी का वैकल्पिक रास्ता होने का साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। विचारण न्यायालय ने मौका रिपोर्ट प्राप्त होने पर अप्रार्थी अपीलान्ट की आपत्ति का निस्तारण कर धारा 251 ए के विधिक प्रावधानों की पालना में विचाराधीन निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

अपने कथनों के समर्थन में डीएनजे 2024(2) रेव पेज 1359, डीएनजे 2024(1) रेव पेज 453, डीएनजे 2024(1) रेव पेज 243, आरआरटी 2022(1) पेज 558 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट ने धारा 251 ए का आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम बंधावाला की भूमि खसरा नम्बर 737 में उत्तर से दक्षिण 80 मीटर पूर्व से पश्चिम 8 मीटर चौड़ा एवं इसके आगे दक्षिण पूर्वी कोने की ओर 40 मीटर लम्बा एवं 8 मीटर चौड़ा कुल 960 वर्गमीटर भूमि में रास्ता कायम करने का अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से आवेदन स्वीकार कर लिया।

पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत 2075 से 78 के अनुसार प्रार्थी खसरा नम्बर 448 व 462 का खातेदार है। खसरा नम्बर 737 की खातेदारी अप्रार्थी अपीलान्ट के नाम दर्ज है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया अनुसार सक्षम स्तर से मौका रिपोर्ट प्राप्त की है। मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी रेस्पोडेन्ट के पास वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थी रेस्पोडेन्ट को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है। प्रस्तावित रास्ता खसरा नम्बर 729 गैर मुमकिन रास्ते से खसरा नम्बर 737 व 738 से होकर प्रार्थी रेस्पोडेन्ट की खातेदारी भूमि तक जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई निकटतम दूरी का वैकल्पिक रास्ता होने का साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है।

विचारण न्यायालय ने मौका रिपोर्ट प्राप्त होने पर अप्रार्थी अपीलान्ट की आपत्ति का निस्तारण कर धारा 251 ए के विधिक प्रावधानों की पालना में विचाराधीन निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
सीकर

निर्णय आज दिनांक 23/7/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर